



The Chhattisgarh Ease of Doing Business Act, 2026

Act No. 13 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2026 — भाद्र 5, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2026

क्रमांक 1742/डी.113/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 14-08-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 13 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अधिनियम, 2026.

अनुक्रमणिका

अध्याय-एक प्रारंभिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. प्रशासनिक अधिकारिता तथा व्यावृत्तियां
3. परिभाषाएं

अध्याय-दो कार्यपालक परिषद

4. कार्यपालक परिषद का गठन
5. कार्यपालक परिषद की शक्तियां तथा कार्य

अध्याय-तीन कार्यपालक समिति

6. कार्यपालक समिति का गठन
7. कार्यपालक समिति की शक्तियां तथा कार्य

अध्याय-चार जिला सशक्त समिति

8. जिला सशक्त समिति का गठन
9. जिला सशक्त समिति की शक्तियां तथा कार्य
10. जिला सशक्त समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील

अध्याय-पाँच

सुधार तंत्र: जोखिम वर्गीकरण – स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण, अभिकल्पित अनुमोदन तथा आजीवन वैधता

11. सेवाओं का जोखिम वर्गीकरण
12. स्व-प्रमाणीकरण सुधार
13. तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण सुधार
14. अभिकल्पित अनुमोदन सुधार
15. अनुमोदनों की वैधता
16. सेवाओं/गतिविधियों का उन्मूलन

अध्याय-छः**अध्यारोही प्रभाव, शिकायत निवारण तंत्र तथा अनुसूची में संशोधन की शक्ति**

17. अध्यारोही प्रभाव
18. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति
19. शिकायत निवारण तंत्र

**अध्याय-सात
प्रकीर्ण**

20. प्रत्यायोजन की शक्ति
21. नियम बनाने की शक्ति
22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
23. निर्देश जारी करने की शक्ति
24. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

अनुसूची

अनुसूची-एक- प्रशासनिक विभागों, अधिनियमों, सेवाओं की सूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 13 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अधिनियम, 2026.

छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश विश्वास तथा उसके द्वारा सतत् आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित अनुमोदन, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण तथा दोहरे अनुज्ञप्ति दायित्वों के उन्मूलन के तंत्रों के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को सक्षम बनाने वाला एक पारदर्शी, जोखिम-आधारित विनियामक ढांचा स्थापित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस अधिनियम, 2026 कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. (1) अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट संबंधित विधान के संबंध में प्रशासनिक अधिकारिता, यथापूर्व प्रयोग किए जाने के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित प्रशासनिक विभागों में निहित रहेगी। संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक रूप से संबंधित नियमों में संशोधन करने, दिशानिर्देश या निदेश जारी करने तथा ऐसे अन्य उपाय करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- (2) इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि, इसके प्रारंभ के पूर्व संस्थित या समाप्त किसी अन्वेषण, जांच, निर्धारण, न्यायनिर्णयन, अपील, प्रवर्तन कार्रवाई या विधिक कार्यवाही को अवैध ठहराया जाये और न ही यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह किसी विधिविरुद्ध कार्यवाही को विधिमान्यता प्रदान करता है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ.

प्रशासनिक
अधिकारिता तथा
व्यावृत्तियां.

3.

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

परिभाषाएं.

- (क) "प्रशासनिक विभाग" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक के स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित तत्स्थानी सेवाओं के लिए स्तंभ संख्या में उल्लिखित (4) विभाग;
- (ख) "आवेदन" से अभिप्रेत है किसी उद्यम द्वारा अनुमोदन या इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य शासन-से-शासन तथा शासन-से-व्यवसाय सेवा के लिए सक्षम प्राधिकारी को किया गया ऑनलाईन या ऑफलाईन कोई अनुरोध, अभ्यावेदन या प्रस्तुतीकरण;
- (ग) "अनुमोदन" से अभिप्रेत है कोई अभिस्वीकृती, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सहमति, पंजीयन, अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति, समाशोधन अथवा मंजूरी, अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो, और इसके अंतर्गत कोई अभिकल्पित अनुमोदन, अभिकल्पित अनुज्ञा या सैद्धांतिक अनुमोदन भी सम्मिलित है;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी संबंधित विधान के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किसी सेवा के प्रशासन, विनियमन या प्रदाय के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित या गठित कोई प्राधिकारी, अधिकारी या निकाय;
- (ङ) "पूर्ण आवेदन" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदन जो सेवा हेतु प्रकाशित जांच-सूची में विनिर्दिष्ट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समस्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया हो एवं निर्धारित शुल्क संदाय कर दिया गया हो;
- (च) "जिला सशक्त समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत गठित समिति;
- (छ) "उद्यम" से अभिप्रेत है माल के उत्पादन, सेवाओं, अवसंरचना, सुविधाओं के विकास या अन्य किसी आर्थिक अथवा सामाजिक क्रियाकलाप में संलग्न औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, रियल एस्टेट, वृत्तिक, संस्थागत, शैक्षणिक या सामाजिक क्षेत्र का उपक्रम;
- (ज) "कार्यपालक समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित समिति;
- (झ) "कार्यपालक परिषद" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा

4 के अंतर्गत गठित परिषद;

- (ज) निरीक्षण" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्यायित तृतीय-पक्ष प्रमाणकों द्वारा किया गया कोई भौतिक, आभासी या दस्तावेजी सत्यापन;
- (ट) "नोडल विभाग" से अभिप्रेत है वाणिज्य तथा उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ठ) "पोर्टल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन की एकल खिड़की प्रणाली, जिसके अंतर्गत प्रस्तुतीकरण, प्रक्रियाकरण, अनुवीक्षण, निराकरण तथा अनुमोदनों के सृजन के लिए कोई विभागीय सूचना प्रणाली या वेबसाइट भी सम्मिलित है;
- (ड) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों में यथा विहित;
- (ढ) "स्व-प्रमाणीकरण" से अभिप्रेत है किसी उद्यम द्वारा इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार लागू विधान के अनुपालन की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किया गया प्रमाणीकरण;
- (ण) "सेवा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई सेवा;
- (त) "विहित समय" का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (सन् 2011 का क्रमांक 23) के अंतर्गत, उसे समनुदेशित है :

परन्तु जहां इस अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी सेवा के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (सन् 2011 का क्रमांक 23) के अंतर्गत कोई विहित समय नियत नहीं है, वहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (सन् 2011 का क्रमांक 23) के अंतर्गत ऐसी सेवा के लिए विहित समय नियत करेगा, और इस प्रकार नियत विहित समय को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस सेवा हेतु विहित समय समझा जाएगा;

- (थ) "तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सुसंगत विधान के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा

मान्यताप्राप्त या सूचीबद्ध किसी अभिकरण, विशेषज्ञ, वृत्तिक या संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाणीकरण तथा तृतीय पक्ष प्रमाणक का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

अध्याय-दो कार्यपालक परिषद

4. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, "कार्यपालक परिषद" (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिषद" कहा गया है) का गठन करेगी।
- (2) परिषद, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन भार में कमी तथा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस से संबंधित सभी विषयों के लिए शीर्ष निकाय होगी।
- (3) परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
- (क) छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, जो इसके अध्यक्ष होंगे;
- (ख) वित्त के भारसाधक मंत्री, सदस्य;
- (ग) विधि तथा विधायी कार्य के भारसाधक मंत्री, सदस्य;
- (घ) वाणिज्य तथा उद्योग के भारसाधक मंत्री, सदस्य;
- (ङ) विचाराधीन विषय से संबंधित प्रशासनिक विभाग के भारसाधक मंत्री, जो उस विषय के संबंध में सदस्य होंगे; और
- (च) छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, जो परिषद के सचिव होंगे।
- (4) परिषद, विचाराधीन किसी विषय के लिए, मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ अथवा किसी विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा स्थापित सोसाईटी के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रिती के रूप में अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) परिषद, एक या अधिक समितियाँ गठित कर सकेगी और किसी शक्ति या कार्य को ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

**कार्यपालक
परिषद का गठन.**

5. (1) परिषद, किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:-
- (एक) ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को सरल बनाने हेतु राज्य के सभी विभागों को नीतिगत निर्देश जारी करना;

**कार्यपालक
परिषद की
शक्तियां तथा**

- (दो) अनुसूची-एक में किसी प्रविष्टि को जोड़ने, उपांतरण, अंतरण या हटाने के लिए धारा 18 के अंतर्गत कार्यपालक समिति की अनुशंसाओं पर विचार करना तथा उन्हें अनुमोदित करना;
- (तीन) कार्यपालक समिति तथा जिला सशक्त समिति के कार्य का अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण तथा पुनर्विलोकन करना;
- (चार) ऐसे मामलों में जहां समिति के सदस्यों के मध्य अभिमतों में भिन्ना हो, कार्यपालक समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जाने पर निर्णय लेना;
- (पाँच) कार्यपालक समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की स्वप्रेरणा से परीक्षा तथा पुनर्विलोकन;
- (छः) परिषद के विनियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुमोदन करना तथा ऐसे कृत्यों का कार्यपालक समिति को आवंटन करना;
- (सात) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाना जैसी विहित की जाए।

कार्य.

अध्याय-तीन कार्यपालक समिति

6. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक कार्यपालक समिति गठित करेगा।
- (2) कार्यपालक समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
- (क) मुख्य सचिव जो इसके अध्यक्ष होंगे;
- (ख) सचिव, अधिकारी और विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, सदस्य होंगे।
- (3) कार्यपालक समिति का सचिवालय, प्रभावी समन्वय तथा विषय-वस्तु विशेषज्ञता के लिए जैसा आवश्यक हो विभागों, मण्डलों, निगमों, प्राधिकरणों या शासन द्वारा स्थापित सोसाइटियों के ऐसे अधिकारियों या प्रतिनिधियों को, अधिसूचना द्वारा, सहयोजित कर सकेगा, जो समिति की बैठकों तथा विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
- (4) कार्यपालक समिति, बैठकें बुलाने, कार्य संचालन करने, अभिलेख रखने, कार्यसूची परिचालित करने, विनिश्चय करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं अवधारित कर सकेगी तथा अन्य आवश्यक विषयों एवं अपने अधिकार एवं कार्यों को ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

**कार्यपालक
समिति का गठन.**

(5) कार्यपालक समिति का सचिवालय राज्य शासन द्वारा अधिसूचित कार्यालय से संचालित होगा।

(6) कार्यपालक समिति भर्ती विनियमों, वित्तीय विनियमों तथा ऐसे अन्य विनियमों को बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए आवश्यक हो।

7. किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यपालक समिति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-

(1) कार्यपालक समिति इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

(2) जहां किसी उद्यम का राज्य-स्तर पर किसी सेवा के संबंध में आवेदन -

(एक) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो; या

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर निराकरण नहीं किया गया हो,

वहां कार्यपालक समिति, सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय या आचरण का पुनर्विलोकन कर सकेगी और लिखित रूप में अभिलिखित आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी को यह अनुशंसा कर सकेगी कि वह -

(क) आवेदन पर, कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी समय-सीमा के भीतर, पुनर्विचार कर आदेश पारित करे; या

(ख) वह कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर लंबित आवेदन का निराकरण करें।

(3) कार्यपालक समिति, किसी क्षेत्र या उद्यमों के वर्ग के लिए, इस अधिनियम अथवा सुसंगत विधान के अंतर्गत अपेक्षित समस्त अनुमोदनों के समन्वयन तथा सुकरीकरण हेतु एकल संपर्क बिंदु अधिसूचित किये जाने के लिये प्रशासकीय विभाग को अनुशंसा कर सकेगी।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकारी विहित समय के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्रदान करें, राज्य-स्तर पर सक्षम प्राधिकारियों का अनुवीक्षण करना;

(5) कार्यपालक समिति, जिला सशक्त समिति के कार्य का अनुवीक्षण करेगी;

**कार्यपालक
समिति की
शक्तियां तथा
कार्य.**

- (6) कार्यपालक समिति इस अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत उपबंधित रीति में कृत्यों का निर्वहन करेगी;
- (7) कार्यपालक समिति, इस अधिनियम के अंतर्गत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक विभागों को अनुशंसाएं करने के लिए सक्षम होगी।
- (8) कार्यपालन समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, जो आवश्यक हो, ऐसे कार्य, शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व जिला सशक्त समिति को समनुदेशित करेगी।
- (9) कार्यपालक समिति, संबंधित विधान के लिए एक प्रभावी, जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली अपनाने की अनुशंसा प्रशासनिक विभागों को कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निरीक्षणों को प्राथमिकता देने, पुनरावृत्ति से बचने तथा उद्यमों पर अनुपालन भार को कम करने के उपाय सम्मिलित हैं;
- (10) कार्यपालक समिति, इस अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत ऐसे सभी विषयों पर विचार करने तथा विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगी जो जिला सशक्त समिति के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित नहीं हैं, और कोई ऐसा विषय जो अभिव्यक्त रूप से जिला सशक्त समिति को समनुदेशित नहीं है, कार्यपालक समिति को निर्दिष्ट समझा जाएगा।

अध्याय-चार जिला सशक्त समिति

8. (1) राज्य शासन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले हेतु जिला सशक्त समिति का गठन करेगा। जिला सशक्त समिति, कार्यपालक समिति के समग्र अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन होगी।
- (2) जिला सशक्त समिति का अध्यक्ष, जिले का कलेक्टर होगा और समिति ऐसे अन्य अधिकारियों और जिला-स्तरीय प्राधिकारियों से मिलकर बनेगी जो विहित की जाये।
- (3) जिला सशक्त समिति का कार्यकाल और कार्य की रीति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए।
9. किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक जिला सशक्त समिति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-
 - (1) जहां किसी उद्यम का जिला-स्तर पर किसी सेवा के संबंध में

**जिला सशक्त
समिति का गठन.**

**जिला सशक्त
समिति की
शक्तियां तथा**

कोई आवेदन-

कार्य.

(एक) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो; या

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर निराकृत नहीं किया गया हो,

वहां जिला सशक्त समिति, उद्यम द्वारा या तो स्वप्रेरणा हो या किए गए लिखित अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय या आचरण का पुनर्विलोकन कर सकेगी और लिखित रूप में अभिलिखित आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी को यह अनुशंसा कर सकेगी कि वह-

(क) आवेदन पर, जिला सशक्त समिति द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी समय-सीमा के भीतर, पुनर्विचार कर आदेश पारित करे; या

(ख) वह जिला सशक्त समिति द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर लंबित आवेदन का निराकरण करें:

परन्तु इस खंड के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केवल ऐसे सक्षम प्राधिकारी के संबंध में किया जा सकेगा जो कलेक्टर के पद से नीचे का हो, और जहां सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर के पद का या उससे ऊपर का हो, वहां जिला सशक्त समिति ऐसे निदेश के लिए, जो वह उचित समझे, मामला कार्यपालक समिति को निर्दिष्ट करेगी।

(2) जिला-स्तर पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का अनुवीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये प्राधिकारी संबंधित विधान के अंतर्गत विहित समय के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्रदान करें;

(3) कार्यपालक समिति द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।

10. (1) जिला सशक्त समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई उद्यम या सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत विहित ऐसे प्रारूप और रीति में कार्यपालक समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) कार्यपालक समिति, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अपील का शीघ्रतापूर्वक विनिश्चय करेगी।

**जिला सशक्त
समिति के आदेशों
के विरुद्ध अपील.**

अध्याय-पाँच

सुधार तंत्र: जोखिम वर्गीकरण – स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण, अभिकल्पित अनुमोदन तथा आजीवन वैधता

11. (1) (एक) प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-एक में सूचीबद्ध, संबंधित विधान से संबंधित सेवाओं को क्रियाकलाप की प्रकृति, संक्रियाओं के परिमाण, स्थान, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा प्रभाव, भूतपूर्व अनुपालन इतिहास तथा किसी अन्य समुचित मानदंड जैसे पैरामीटर के आधार पर निम्न जोखिम, मध्यम जोखिम तथा उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा, और इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए किसी सेवा, स्थापना या उद्यम को उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने के विशिष्ट आधारों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा;

सेवाओं का
जोखिम
वर्गीकरण.

परन्तु प्रशासकीय विभाग, नब्बे दिनों से अनधिक अवधि के लिए और विस्तार हेतु कार्यपालक समिति से अनुरोध कर सकेगा और कार्यपालक समिति, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि का विस्तार, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकेगी।

- (दो) इस उप-धारा के अंतर्गत अधिसूचित किया जाने वाला प्रत्येक जोखिम वर्गीकरण, पुनर्विलोकन तथा अनुमोदन के लिए कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा, और कार्यपालक समिति, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के आधार पर, एक बोलते हुए आदेश के द्वारा-

- (क) वर्गीकरण की पुष्टि कर सकेगी;
- (ख) प्रशासनिक विभाग को कारण सहित सेवा, स्थापना या उद्यम को भिन्न जोखिम श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने की अनुशंसा कर सकेगी; या
- (ग) उस जनहित की समुचित रक्षा करते हुए, जिसके लिए वर्गीकरण नियत किया गया या विनियामक भार को कम करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अनुपालन सत्यापन की रीति, आवृत्ति या प्रकार संबंधी ऐसी शर्तें या उपांतरण अनुशंसित कर सकेगी;

परन्तु यह भी कि जहां इस उप-धारा के अंतर्गत प्रारंभिक वर्गीकरण के पश्चात, कोई प्रशासनिक

विभाग किसी सेवा, स्थापना या उद्यम की जोखिम श्रेणी को उपांतरित या पुनर्वर्गीकृत करना आवश्यक समझे, वहां वह ऐसा केवल कार्यपालक समिति के पूर्व अनुमोदन से और अधिसूचना द्वारा करेगा।

- (2) अनुसूची-एक में सूचीबद्ध सेवाओं पर लागू सुधार तंत्र, उप-धारा (1) के अंतर्गत उसके जोखिम वर्गीकरण द्वारा अवधारित होगा, अर्थात्:-

- (एक) धारा 12 के अंतर्गत निम्न जोखिम के लिए स्व-प्रमाणीकरण; और
(दो) धारा 13 के अंतर्गत मध्यम जोखिम के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण; और
(तीन) धारा 14 के अंतर्गत उच्च जोखिम के लिए अभिकल्पित अनुमोदन; और
(चार) अनुमोदनों की वैधता धारा 15 द्वारा शासित होगी।

- 12. (1) प्रयोज्यता-** धारा 11 के अंतर्गत निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत सेवाओं के लिए, संबंधित विधान में विहित ऐसे प्रारूप और रीति में स्व-प्रमाणीकरण के माध्यम से अनुपालन स्थापित किया जा सकेगा।

**स्व-प्रमाणीकरण
सुधार.**

- (2) समय-सीमाबद्ध निराकरण-** जहां कोई उद्यम विहित प्रारूप और रीति में पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करता है, वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व भौतिक निरीक्षण की अपेक्षा किए बिना, विहित प्रारूप में अनुमोदन प्रमाण-पत्र, ऐसे पूर्ण आवेदन के प्रस्तुतीकरण के पंद्रह दिनों के भीतर, इस बात के अत्यधीन रहते हुए कि उद्यम ने संबंधित विधान के अंतर्गत निर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति की हो और सभी शर्तों, मानदंडों तथा सांविधिक पैरामीटर का अनुपालन किया हो, जारी किया जाएगा;

परन्तु जहां उक्त अवधि के भीतर अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता और विलंब आवेदक के लिए अभिनिर्धार्य नहीं है, वहां ऐसी अवधि की समाप्ति पर अनुमोदन को अभिकल्पित अनुमोदन माना जाएगा, और धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (दो) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

परन्तु यह और कि जहां आवेदन में कोई उपचारणीय त्रुटि प्रकट होती है, वहां सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विधान के अंतर्गत विहित प्रारूप और रीति में, आवेदक को ऐसी त्रुटि को सुधारने का पर्याप्त अवसर देगा।

- (3) **निलंबन, प्रतिसंहरण तथा सुधार-** यदि स्व-प्रमाणीकरण किसी तात्विक बात में मिथ्या या भ्रामक पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित अनुमोदन को निलंबित, प्रतिसंहत या उपांतरित कर सकेगा। वह संबंधित विधान के अंतर्गत उपबंधित शास्तियां भी अधिरोपित कर सकेगा;

परन्तु, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बिना कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी; और

परन्तु यह और कि जहां त्रुटियां उपचारणीय हों, वहां प्रतिसंहरण से पूर्व समय-सीमाबद्ध सुधार का अवसर दिया जाएगा।

- (4) **प्रतिसंहरण का प्रभाव-** प्रतिसंहरण भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा और ऐसे प्रतिसंहरण के पूर्व सद्भावपूर्वक की गयी किसी कार्यवाही की वैधता या विधिक मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस सीमा तक जितना सतत होने वाली क्षति को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक हो।

13. (1) **मान्यता-** सक्षम प्राधिकारी, कार्यपालक समिति के परामर्श से, धारा 11 के अंतर्गत मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत सेवाओं के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणकों को मान्यता तथा सूचीबद्ध करेगा, तथा पात्रता, कर्तव्य, हित के द्वंद्व से संबंधित सुरक्षोपाय और शुल्क मानदंड प्रकाशित करेगा।

**तृतीय-पक्ष
प्रमाणीकरण
सुधार.**

- (2) **समय-सीमाबद्ध निराकरण-** जहां कोई उद्यम सूचीबद्ध प्रमाणक द्वारा विहित प्रारूप और रीति में जारी किए गए विधिमान्य तृतीय-पक्ष प्रमाण-पत्र सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करता है, वहां अनुमोदन प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विहित प्रारूप और रीति में, ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण के पंद्रह दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, परंतु उद्यम ने संबंधित विधान के अंतर्गत निर्धारित सभी सांविधिक अपेक्षाओं तथा शर्तों का अनुपालन किया हो।

परन्तु जहां उक्त अवधि के भीतर अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता और विलंब आवेदक के लिए अभिनिर्धार्य नहीं है, वहां ऐसी अवधि की समाप्ति पर अनुमोदन को अभिकल्पित अनुमोदन माना जाएगा, और धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (दो) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

परन्तु यह और कि जहाँ आवेदन में कोई उपचारणीय त्रुटि प्रकट होती है, वहां सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विधान के

अंतर्गत यथा विहित प्रारूप और रीति में, आवेदक को ऐसी त्रुटि को सुधारने का पर्याप्त अवसर देगा।

- (3) **तृतीय-पक्ष प्रमाणकों के विरुद्ध निलंबन तथा प्रतिसंहरण कार्रवाई-** यदि तृतीय-पक्ष प्रमाणक, जानबूझकर किए गए कदाचार, घोर उपेक्षा, तात्विक मिथ्या-वर्णन, हित के तात्विक द्वंद्व या मिथ्या अथवा भ्रामक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दायी होगा, सक्षम प्राधिकारी, कारण-बताओ सूचना जारी करने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे प्रमाणक को निलंबित, ब्लैकलिस्ट या सूचीबद्ध सूची से हटा सकेगा।

परन्तु जहां त्रुटियां उपचारणीय हों, वहां प्रतिसंहरण से पूर्व समय-सीमाबद्ध सुधार का अवसर दिया जाएगा।

- (4) **प्रमाणक के निलंबन या प्रतिसंहरण का प्रभाव-** किसी तृतीय-पक्ष प्रमाणक का निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग या हटाया जाना भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा और ऐसी कार्रवाई से पूर्व सद्भावपूर्वक जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले ही प्रदत्त किसी अनुमोदन को अविधिमान्य या विधिविरुद्ध नहीं करेगा, सिवाय उस सीमा तक जितना सतत क्षति या आसन्न जोखिम को निवारित, उपशमित या न्यूनतम करने के लिए आवश्यक हो।

14. (1) **अभिकल्पित अनुमोदन और इसकी प्रयोज्यता-** "अभिकल्पित अनुमोदन" से अभिप्रेत है ऐसा अनुमोदन जिसे अनुसूची-एक में सूचीबद्ध संबंधित सेवाओं के लिए विहित समय की समाप्ति पर प्रदत्त समझा जाएगा, जहां सक्षम प्राधिकारी विहित समय के भीतर अनुमोदन या नामंजूरी का अभिव्यक्त आदेश पारित करने में असफल रहा हो और ऐसी असफलता आवेदक के लिए अभिनिर्धार्य न हो।

**अभिकल्पित
अनुमोदन सुधार.**

अभिकल्पित अनुमोदन, धारा 11 के अंतर्गत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत सेवाओं तथा धारा 12 की उप-धारा (2) के परंतुक अथवा धारा 13 की उप-धारा (2) के परंतुक के अंतर्गत अभिकल्पित अनुमोदन के रूप में माने गए किसी अनुमोदन पर, ऐसे प्रारूप और रीति में, जैसी विहित की जाए, लागू होगा।

- (2) **समय-सीमाबद्ध निराकरण-** (एक) जहां कोई उद्यम पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करता है, वहां सक्षम प्राधिकारी विहित समय के भीतर उसका निराकरण करेगा। यदि ऐसी समय-सीमा के भीतर उसका निराकरण नहीं किया जाता, तो उक्त अवधि की समाप्ति

पर आवेदन को अभिकल्पित रूप से अनुमोदित समझा जाएगा।

(दो) खंड (एक), धारा 12 की उप-धारा (2) तथा धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिकल्पित रूप से अनुमोदित समझा गया प्रत्येक आवेदन, ऐसे अभिकल्पित अनुमोदन के तुरंत पश्चात्, अभिलिखित किया जाएगा तथा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा की समाप्ति के अथवा धारा 12 और धारा 13 के अंतर्गत अनुमोदन प्रमाण-पत्र के लिए उल्लिखित समय-सीमा के तीन दिनों के भीतर अभिकल्पित अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो कार्यपालक समिति को प्रवर्धित (एस्केलेट) समझा जाएगा।

अभिकल्पित अनुमोदन के दिनांक और प्रमाण-पत्र जारी करने के दिनांक के बीच की अवधि को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के प्रयोजनों के लिए विलंब माना जाएगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, जहां आवेदन में कोई उपचारणीय त्रुटि प्रकट होती है, संबंधित विधान के अंतर्गत विहित प्रारूप और रीति में, आवेदक को ऐसी त्रुटि को सुधारने का पर्याप्त अवसर देगा।

(3) निलंबन, प्रतिसंहरण तथा सुधार- सक्षम प्राधिकारी किसी अभिकल्पित अनुमोदन को निलंबित, प्रतिसंहत या उपांतरित कर सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि -

- (एक) यह कपट, जानबूझकर किए गए मिथ्या-वर्णन या तथ्यों के तात्त्विक दमन द्वारा प्राप्त किया गया था; या
- (दो) मानक शर्तों का तात्त्विक रूप से उल्लंघन किया गया है; या
- (तीन) अभिकल्पित अनुमोदन के निरंतर प्रचालन से विधिसंगत लोकहित को तात्त्विक जोखिम उत्पन्न होता है या युक्तियुक्त रूप से उत्पन्न होने की संभावना है।

परन्तु कारण-बताओ सूचना जारी किए बिना, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना तथा संक्षिप्त कारण अभिलिखित किए बिना कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी; और

परन्तु यह कि जहां त्रुटियां उपचारणीय हों, वहां प्रतिसंहरण से पूर्व समय-सीमाबद्ध सुधार का अवसर

दिया जाएगा।

- (4) **प्रतिसंहरण का प्रभाव-** प्रतिसंहरण भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा और सद्भावनापूर्वक पूर्व में किए गए किसी कार्य को अविधिमान्य या विधिविरुद्ध नहीं करेगा, सिवाय उस सीमा तक जितना सतत क्षति को निवारित या उपशमित करने के लिए आवश्यक हो।

15. (1) किसी संबंधित विधान में अनुमोदन की वैधता या नवीनीकरण की अवधि के संबंध में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:-

अनुमोदनों की वैधता.

(एक) धारा 11 के अंतर्गत निम्न जोखिम या मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किसी क्रियाकलाप, स्थापना या उद्यम के संबंध में कोई अनुमोदन, आवधिक अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, उद्यम के आजीवन काल तक वैध रहेगा, जब तक कि इसे स्वेच्छा से अभ्यर्पित न किया जाए या कपट, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या तात्त्विक अननुपालन के लिए प्रतिसंहत न किया जाए;

(दो) धारा 11 के अंतर्गत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किसी क्रियाकलाप, स्थापना या उद्यम के संबंध में ऐसा कोई अनुमोदन, ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जैसा प्रशासकिय विभाग, क्रियाकलाप की प्रकृति, परिमाण तथा जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा अवधारित करे, और यह संबंधित विधान में विहित ऐसे प्रारूप और रीति में नवीकरणीय होगा;

परन्तु जहां किसी क्रियाकलाप, स्थापना या उद्यम का जोखिम वर्गीकरण धारा 11 के अंतर्गत बाद में पुनरीक्षित किया जाता है, वहां खंड (एक) या (दो) के अंतर्गत पहले से प्रदत्त वैधता तदनुसार भविष्यलक्षी प्रभाव से उपांतरित समझी जाएगी, और ऐसा कोई पुनरीक्षण सद्भावपूर्वक पहले से उपभुक्त वैधता की किसी अवधि को अविधिमान्य नहीं करेगा।

- (2) **आवधिक अनुपालन-** उप-धारा (1) के खंड (एक) के अंतर्गत आजीवन वैधता वाले किसी अनुमोदन के संबंध में, आवधिक अनुपालन निम्नलिखित के माध्यम से स्थापित किया जाएगा -

- (एक) निम्न जोखिम के लिए उद्यम द्वारा स्व-प्रमाणीकरण; या
(दो) मध्यम जोखिम के लिए शासन द्वारा सूचीबद्ध किसी प्रत्यायित वृत्तिक या संस्था द्वारा तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण;

ऐसे प्रारूप, रीति तथा आवधिकता में जैसी संबंधित प्रशासनिक विभाग संबंधित विधान के अंतर्गत, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित करे।

- (3) **तात्त्विक परिवर्तन की सूचना-** उद्यम, क्रियाकलाप, प्रक्रिया, क्षमता, स्थान या अन्य अधिसूचित प्राचलों में किसी तात्त्विक परिवर्तन की सूचना, संबंधित विधान के अंतर्गत विहित रूप में देंगे।
 - (4) **निलंबन तथा प्रतिसंहरण-** कपट, मिथ्याकरण, तात्त्विक अननुपालन या असूचित तात्त्विक परिवर्तनों के लिए अनुमोदन सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुये निलंबित या प्रतिसंहृत किये जा सकेंगे।
 - (5) **संक्रमणकालीन उपबंध-** इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक को प्रवृत्त, अनुसूची-एक में सूचीबद्ध सेवाओं से संबंधित सभी अनुमोदन, धारा 11 के अंतर्गत जोखिम वर्गीकरण, इस धारा की उप-धारा (1) के खंड (दो) के अंतर्गत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत सेवाओं तथा इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित आवधिक अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी राज्य शासन अधिसूचना द्वारा विहित करे, इस धारा के अंतर्गत आजीवन वैधता प्रदत्त किया गया समझा जाएगा।
- 16. (1)** राज्य शासन, कार्यपालक परिषद के अनुमोदन के साथ, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि किसी अधीनस्थ विधान के अंतर्गत अपेक्षित कोई अनुमोदन अपेक्षित होना बंद हो जाएगा, जहां वह इस बात से समाधान प्राप्त कर ले कि ऐसा अनुमोदन असंगत या अनतिशेष हो गया है, किसी अन्य अनुपालन का द्विरावृत्ति करता है, या लोकहित, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अथवा राज्य के राजस्व पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त किया जा सकता है।
- (2) जहां किसी अनुमोदन की अपेक्षा सुसंगत अधिनियम में आज्ञापक है, वहां ऐसी अपेक्षा उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा समाप्त नहीं की जाएगी और केवल संबंधित अधिनियम में संशोधन द्वारा ही समाप्त की जा सकेगी।

अध्याय-छः

अध्यारोही प्रभाव, शिकायत निवारण तंत्र तथा अनुसूची में संशोधन की शक्ति

- 17.** छत्तीसगढ़ राज्य की किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के

सेवाओं/
गतिविधियों का
उन्मूलन.

अध्यारोही प्रभाव.

होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

18. (1) कार्यपालक समिति, इस अधिनियम के अंतर्गत उद्यमों पर विनियामक तथा अनुपालन भार का पुनर्विलोकन करती रहेगी और अपनी स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रशासनिक विभाग, उद्यम या जिला सशक्त समिति से प्राप्त निर्देश पर, नोडल विभाग को निम्न अनुशंसा कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) अनुसूची-एक में किसी नई सेवा या अधीनस्थ विधान को जोड़ना; या

(ख) अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किसी सेवा या अधीनस्थ विधान का उपांतरण या हटाना।

- (2) राज्य शासन, कार्यपालक परिषद के अनुमोदन के साथ, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-एक में संशोधन कर सकेगा;

परन्तु जहां ऐसे किसी संशोधन के लिए किसी अधिनियम में तत्संबंधी संशोधन अपेक्षित हो, वहां ऐसा संशोधन संबंधित अधिनियम में संशोधन द्वारा ही किया जाएगा।

19. (1) प्रत्येक उद्यम या आवेदक निम्नलिखित के संबंध में शिकायत फाइल कर सकेगा:-

(एक) विहित समय से परे सेवा के प्रदाय में विलंब;

(दो) लागू विधि या नियमों के अंतर्गत अविहित दस्तावेजों की मांग;

(तीन) विधिमान्य स्व-प्रमाणीकरण या तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण को स्वीकार करने से इंकार;

(चार) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उद्यम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई लोप या कार्य।

- (2) **निवारण तंत्र-** राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, त्वरित-पथ शिकायत निवारण के लिए आवश्यक शिकायत निवारण तंत्र, समय-सीमा, संबंधित स्तर का प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी तथा अन्य ऐसी प्रक्रियाएं विहित कर सकेगा।

- (3) प्रत्येक शिकायत ऑनलाइन तथा ऐसे अन्य संसूचन के माध्यमों से, जैसे विहित किए जाएं, समनुदेशित की जाएगी।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति.

शिकायत निवारण तंत्र.

अध्याय-सात**प्रकीर्ण**

- | | | |
|------------|--|--|
| 20. | राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित विषय में अपनी शक्ति नोडल या प्रशासनिक विभाग, समितियों, अधिकारियों या राज्य के प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा। | प्रत्यायोजन की शक्ति. |
| 21. | राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कार्यपालक समिति तथा जिला सशक्त समिति की संरचना, कार्यकाल, गणपूर्ति तथा कार्य करने की रीति, आवेदनों के प्रारूप तथा रीति, स्व-प्रमाणीकरण तथा तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, संदेय फीस, अनुमोदनों के सृजन की रीति तथा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य विषयों सहित, नियम बना सकेगा। | नियम बनाने की शक्ति. |
| 22. | यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य शासन, इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न होने वाले आदेश द्वारा, उसे स्पष्ट या दूर कर सकेगा। | कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति. |
| 23. | राज्य शासन, इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित विषय में कार्यपालक समिति या जिला सशक्त समिति अथवा राज्य के किसी विभाग/प्राधिकरण/बोर्ड/निगम को कोई निर्देश जारी कर सकेगा। | निर्देश जारी करने की शक्ति. |
| 24. | ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के सुकरीकरण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के लिए कार्यपालक परिषद, शासन के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा कार्यपालक समिति या जिला सशक्त समिति अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। | सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. |

अनुसूची-एक
प्रशासनिक विभागों, अधिनियमों, सेवाओं की सूची

स.क्र.	सेवाएं	विधि	प्रशासनिक विभाग
	(1)	(2)	(3)
1.	भवन अनुज्ञा (विकास अनुज्ञा)	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973)	आवास एवं पर्यावरण विभाग
2.	भवन नक्शा अनुमोदन हेतु प्लिंथ अनुमोदन		
3.	ले-आउट प्लान अनुमोदन		
4.	अधिभोग प्रमाण-पत्र		
5.	सिनेमाटोग्राफ अनुज्ञप्ति	छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (क्र.17 सन् 1952)	संस्कृति विभाग
6.	सिनेमाटोग्राफ अनुज्ञप्ति का नवीकरण		
7.	अग्नि अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र – पंजीयन	छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपात सेवा अधिनियम, 2018 (क्र.19 सन् 2018)	गृह विभाग
8.	अग्नि अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र - नवीकरण		
9.	वाणिज्यिक क्लब अनुज्ञप्ति (एफ.एल.4-ए)	छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 02 सन् 1915)	वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)
10.	गैर-वाणिज्यिक क्लब अनुज्ञप्ति (एफ.एल.4)		
11.	सैन्य कैटीन खुदरा अनुज्ञप्ति (एफ.एल.7)		
12.	पर्यटन बोर्ड हेतु बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.3-सी)		

13.	विदेशी मदिरा का लेबल पंजीयन		
14.	एयरपोर्ट रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.3डी)		
15.	मोबाइल टावर अनुज्ञा (नई)	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
16.	व्यापार अनुज्ञप्ति		
17.	पानी का कनेक्शन		
18.	भवन अनुज्ञा		
19.	अधिभोग प्रमाण-पत्र		
20.	भवन नक्शा अनुमोदन हेतु प्लिंथ अनुमोदन		
21.	परिवर्तन तथा वृद्धि/पुनरीक्षण/पुनर्वैधीकरण की अनुज्ञा		
22.	विध्वंस तथा पुनर्निर्माण की अनुज्ञा		
23.	विक्रय प्रमाण-पत्र (पथ विक्रेता अनुज्ञप्ति)		
24.	साइनेज अनुज्ञा		
25.	वधशाला अनुज्ञप्ति		
26.	व्यापार अनुज्ञप्ति का नवीकरण		
27.	मोबाइल टावर अनुज्ञा (नवीन)	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961)	
28.	व्यापार अनुज्ञप्ति		
29.	पानी का कनेक्शन		
30.	भवन अनुज्ञा		
31.	अधिभोग प्रमाण-पत्र		
32.	भवन नक्शा अनुमोदन हेतु प्लिंथ		

	अनुमोदन		
33.	परिवर्तन तथा वृद्धि/पुनरीक्षण/पुनर्वैधीकरण की अनुज्ञा		
34.	विध्वंस तथा पुनर्निर्माण की अनुज्ञा		
35.	विक्रय प्रमाण-पत्र (पथ विक्रेता अनुज्ञप्ति)		
36.	साइनेज अनुज्ञा		
37.	वधशाला अनुज्ञप्ति		
38.	व्यापार अनुज्ञप्ति का नवीकरण		
39.	सोसाइटियों का पंजीयन		
40.	ज्ञापन, उपविधि या विनियमों में संशोधन का अनुमोदन	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
41.	नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या शासी निकाय में परिवर्तन		
42.	सड़क खनन अनुज्ञा	छत्तीसगढ़ राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003)	लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.)
43.	भूजल उद्ग्रहण	छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 (क्र.18सन् 2022)	जल संसाधन विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2026

क्रमांक 1742/डी.113/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT**(No. 13 of 2026)****THE CHHATTISGARH EASE OF DOING BUSINESS ACT, 2026.****CHAPTER-I
PRELIMINARY****SECTIONS**

1. Short title, extent and commencement
2. Administrative jurisdiction and savings
3. Definitions

**CHAPTER-II
EXECUTIVE COUNCIL**

4. Constitution of the Executive Council
5. Powers and Functions of the Executive Council

**CHAPTER-III
EXECUTIVE COMMITTEE**

6. Constitution of the Executive Committee
7. Powers and Functions of the Executive Committee

**CHAPTER-IV
DISTRICT EMPOWERED COMMITTEE**

8. Constitution of the District Empowered Committee
9. Powers and Functions of the District Empowered Committee
10. Appeals against Orders of the District Empowered Committee

**CHAPTER-V
REFORM MECHANISMS: RISK CLASSIFICATION - SELF-
CERTIFICATION, THIRD-PARTY CERTIFICATION, DEEMED
APPROVAL AND LIFETIME VALIDITY**

11. Risk Classification of Services
12. Self-Certification Reforms
13. Third-Party Certification Reforms
14. Deemed Approval Reforms
15. Validity of approvals
16. Elimination of Services / Activities

CHAPTER-VI
OVERRIDING EFFECT, GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM AND
POWER TO AMEND SCHEDULE

- 17. Overriding Effect
- 18. Power to amend schedules
- 19. Grievance Redressal Mechanism

CHAPTER-VII
MISCELLANEOUS

- 20. Power to Delegate
- 21. Power to make Rules
- 22. Power to remove difficulties
- 23. Power to issue Directions
- 24. Protection of Action Taken in Good Faith

SCHEDULE

Schedule-I - List of Administrative Departments, Acts, Services

CHHATTISGARH ACT**(No. 13 of 2026)****THE CHHATTISGARH EASE OF DOING BUSINESS ACT, 2026.**

An Act to establish a transparent, risk-based regulatory framework enabling ease of doing business through mechanisms of deemed approvals, self-certifications, third-party certifications, and elimination of dual licensing obligations, thereby promoting investment confidence and sustainable economic growth in the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I PRELIMINARY		
1.	(1) This Act may be called the Chhattisgarh Ease of Doing Business Act, 2026. (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh. (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.	Short title, extent and commencement.
2.	(1) The administrative jurisdiction in respect of the concerned legislation specified in schedule I, shall continue to vest in the respective administrative departments of the Government of Chhattisgarh as hitherto exercised. The departments concerned shall, within their administrative domain, take necessary steps to amend the relevant rules, issue guidelines or directions, and undertake such measures as may be required for the effective implementation of the provisions of this Act. (2) Nothing in this Act shall be construed to invalidate any investigation, inquiry, assessment, adjudication,	Administrative jurisdiction and savings.

	appeal, enforcement action or legal proceeding instituted or concluded prior to its commencement, nor shall it be deemed to confer validity upon any illegal proceedings.	
3.	In this Act, unless the context otherwise requires, namely:- (i) ‘Administrative Department’ means the Department mentioned in column no. (4) for the corresponding services mentioned in column no. (2) of Schedule I; (ii) ‘Application’ means any online or offline request, representation or submission made by any enterprise to a Competent Authority for approval or any other Government-to-Government and Government-to-Business services covered under this Act or as mentioned in the Schedule; (iii) ‘Approval’ means any acknowledgement, no-objection certificate, consent, registration, permission, licence, clearance or sanction that is required to be obtained under any Act mentioned in Schedule I, and shall also include any deemed approval, deemed permission or in-principle approval; (iv) ‘Competent Authority’ means any Authority, Officer or Body designated or constituted under any concerned legislation for the time being in force in the State of Chhattisgarh, as the authority responsible for administering, regulating or delivering any service specified in the Schedule I to this Act; (v) ‘Complete Application’ means an application submitted along with prescribed fees and all	Definitions.

	documents specified in the published checklist for the service or as prescribed by the Competent Authority; (vi) 'District Empowered Committee' means the Committee constituted under Section 8 of this Act; (vii) 'Enterprise' means any industrial, commercial, business, real estate, professional, institutional, educational or social sector undertaking engaged in the production of goods, services, infrastructure, development of facilities or any other economic or social activity; (viii) 'Executive Committee' means the Committee as constituted under Section 6 of this Act; (ix) 'Executive Council' means the Council as constituted under Section 4 of this Act; (x) 'Inspection' means any physical, virtual or documentary verification conducted by concerned Competent Authority or its Authorized Officer/ accredited third-party certifiers for ensuring compliance with relevant Act; (xi) 'Nodal Department' means the Department of Commerce and Industries, Government of Chhattisgarh; (xii) 'Portal' means the Single Window System of the Government of Chhattisgarh, including any departmental information system or website, for the purposes of submission, processing, monitoring, disposal, and generation of approvals; (xiii) 'Prescribe' means as prescribed in the rules made under this Act; (xiv) 'Self-Certification' means a certification submitted by an enterprise declaring compliance	
--	---	--

	with relevant legislation as per section 12 of this Act; (xv) ‘Service’ means any service specified in Schedule-I to this Act; (xvi) ‘Stipulated time’ shall have the same meaning as assigned to it under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011): Provided that, where no stipulated time is fixed under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) in respect of any service specified in the Schedule I to this Act, the concerned Competent Authority shall, by notification, fix the stipulated time for such service under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), and the stipulated time so fixed shall, for the purposes of this Act, be deemed to be the stipulated time for that service; (xvii) ‘Third-Party Certification’ means a certification issued by an agency, expert, professional or institution recognized or empaneled by the Government or the Competent Authority for verifying compliance with relevant Legislation as per Section 13 of this Act; and ‘Third-Party Certifier’ shall be construed accordingly.	
CHAPTER-II EXECUTIVE COUNCIL		
4	(1) The State Government shall, by notification, constitute the “Executive Council” (hereinafter referred to as “the Council”). (2) The Council shall be the apex body for all matters	Constitution of the Executive Council.

	relating to reduction of compliance burden and ease of doing business under this Act. (3) The Council shall consist of the following – (a) the Chief Minister of the State of Chhattisgarh, who shall be the Chairperson; (b) the Minister-in-charge of Finance, Member; (c) the Minister-in-charge of Law and Legislative Affairs, Member; (d) the Minister-in-charge of Commerce and Industries, Member; (e) the Minister-in-charge of the administrative department concerned with the subject under consideration, who shall be a Member in respect of that subject; and (f) The Chief Secretary to the Government of Chhattisgarh, who shall be the Secretary of the Council. (4) The Council may invite any Minister, officer, expert or representative of any Department, Board, Corporation, Authority or Government-established Society to attend its meetings as a special invitee for any subject under consideration. (5) The Council may constitute one or more Committees and may delegate any of its powers and functions to such Committee.	
5	The Council shall, notwithstanding anything contained in any other law, exercise the following powers, namely: - (i) to issue policy directions to all Departments for facilitation of ease of doing business; (ii) to consider and approve recommendations of the Executive Committee under Section 18 for addition, modification, transfer or removal of any entry in Schedule-I;	Power and Functions of the Executive Council.

	(iii) to monitor, supervise and review the functioning of the Executive Committee and the District Empowered Committee; (iv) to take decisions on the matters referred to it by the Executive Committee in such cases where a difference of opinion exists among the members of the Committee; (v) Suo motu examination and review of any decision taken by the Executive Committee; (vi) to approve the regulations and procedures of the Council and allocating such functions to the Executive Committee; (vii) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed.	
CHAPTER-III EXECUTIVE COMMITTEE		
6.	(1)The State Government shall, by notification, constitute an Executive Committee for the Purposes of this Act. (2)The Executive Committee shall consist of the following - (i) Chief Secretary, who shall be the Chairperson; (ii) Secretaries, officers and experts as the State Government may, by notification, appoint, shall be member. (3)The Secretariat of the Executive Committee may, by notification, co-opt such officers or representatives of Departments, Boards, Corporations, Authorities, or Government established Societies as necessary for effective	Constitution of the Executive Committee.

	coordination and subject matter expertise, who shall participate in the Committee's meetings and deliberations. (4) The Executive Committee may determine its own procedures for convening meetings, conducting business, maintaining records, circulating agendas, decision making, and other matters necessary for discharging its functions under this Act. (5) The Secretariat of the Executive Committee shall operate from an office notified by the State Government. (6) The Executive Committee may frame its recruitment regulations, financial regulations and such other regulations as are necessary for achieving the objectives of this Act.	
7.	Notwithstanding anything contained in any other law, the Executive Committee shall have the following powers, namely:- (1) The Executive Committee shall ensure effective implementation of this Act. (2) Where any application of an enterprise in respect of a service at the State level has been – (1) rejected by the Competent Authority; or (2) not disposed of by the Competent Authority within the stipulated time, the Executive Committee may, review the decision or conduct of the Competent Authority and may, by order recorded in writing, recommend the Competent Authority to – (a) reconsider and pass an order on the application within such time as the Executive	Power and Functions of the Executive Committee.

	Committee may specify; or (b) dispose of the pending application within such time as the Executive Committee may specify. (3) The Executive Committee may recommend to administrative departments, for any sector or class of enterprises, to notify a Single Point of Contact for coordinating and facilitating all approvals required under this Act or relevant legislation. (4) To monitor the Competent Authorities at the State level to ensure that these authorities provide the necessary approval as per stipulated time; (5) The Executive Committee shall monitor the functioning of the District Empowered Committee; (6) The Executive Committee shall carry out functions in the manner provided under Section 18 of this Act. (7) The Executive Committee shall be competent to make recommendations to administrative departments for implementation of reforms under this Act. (8) The Executive Committee shall assign such functions, powers and responsibilities to the District Empower Committee as may be necessary for carrying out the purposes of this Act. (9) The Executive Committee may recommend to the Administrative Departments the adoption of an effective, risk based inspection system for the relevant legislation, including measures for prioritizing inspections, avoiding duplications and reducing the compliance burden on enterprises. (10) The Executive Committee shall be competent	
--	---	--

	to consider and decide all matters arising under this Act which are not required to be placed before the District Empowered Committee, and any matter not expressly assigned to the District Empowered Committee shall stand referred to the Executive Committee.	
CHAPTER-IV DISTRICT EMPOWERED COMMITTEE		
8.	(1) The State Government shall, by notification, constitute District Empowered Committee for each district for the purposes of this Act. The District Empowered Committee shall be under the overall superintendence, direction and control of the Executive Committee. (2) Chairperson of the District Empowered Committee shall be Collector of the district and committee shall consist of such other officers and district-level authorities as may be prescribed. (3) Tenure and manner of functioning of the District Empowered Committee shall be such as may be prescribed.	Constitution of the District Empowered Committee.
9.	Notwithstanding anything contained in any other law, each District Empowered Committee shall have the following powers, namely:- (1) Where any application of an enterprise in respect of a service at the district level has been – (i) rejected by the Competent Authority; or (ii) not disposed of by the Competent Authority within the stipulated time, the District Empowered Committee may, either suo-moto or upon a written request made by the enterprise, review the decision or conduct of the	Powers and Functions of the District Empowered Committee.

	Competent Authority and may, by order recorded in writing, recommend the Competent Authority to – (a) reconsider and pass an order on the application within such time as the District Empowered Committee may specify; or (b) dispose of the pending application within such time as the District Empowered Committee may specify. Provided that the power under this clause shall be exercisable only in respect of a Competent Authority below the rank of the Collector, and where the Competent Authority is of or above the rank of the Collector, the District Empowered Committee shall refer the matter to the Executive Committee for such direction as it considers appropriate. (2) To monitor the services provided by the Competent Authorities at the district level to ensure that these authorities provide the necessary approval as per stipulated time under relevant legislation. (3) Any other functions assigned by the Executive Committee.	
10.	(1) Any enterprise or Competent Authority aggrieved by the decision of the District Empowered Committee may file an appeal before the Executive Committee in such form and manner as may be prescribed under this Act. (2) The Executive Committee shall after giving the opportunity of being heard decide the appeal expeditiously.	Appeals against Orders of the District Empowered Committee.

CHAPTER-V**REFORM MECHANISMS: RISK CLASSIFICATION – SELF-CERTIFICATION, THIRD-PARTY CERTIFICATION, DEEMED APPROVAL AND LIFETIME VALIDITY**

11.	(1) (i) Every Administrative Department shall, within ninety days from the date of commencement of this Act, by notification, classify the services, pertaining to the concerned Legislation, listed in Schedule-I into Low Risk, Medium Risk and High Risk categories, based on parameters such as nature of activity, scale of operations, location, environmental and safety impact, past compliance history and any other appropriate criteria, and shall record in writing the specific grounds for classifying any service, establishment or enterprise as High Risk having regard to the parameters specified in this sub-section: Provided that Administrative Department may request the Executive Committee for further extension of the period not exceeding ninety days and the Executive Committee may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period as it considers necessary. (ii) Every risk classification to be notified under this sub-section shall be placed before the Executive Committee for review and approval, and the Executive Committee may, on the grounds of ease of doing business, by a speaking order – (a) confirm the classification; (b) recommend Administrative Department to reclassify the service, establishment or enterprise into a different risk category, with reasons; or	Risk classification of Services.
------------	---	---

	(c) recommend such conditions or modifications on the manner, frequency or modality of compliance verification as it considers necessary to reduce the regulatory burden while adequately safeguarding the public interest for which the classification was assigned. Provided also that where after the initial classification under this sub-section, any administrative department considers it necessary to modify or reclassify the risk category of any service, establishment or enterprise, it shall do so only with the prior approval of the Executive Committee and through notification. (2) The reform mechanism applicable to the services listed in Schedule I shall be determined by its risk classification under sub-section (1), namely – (i) Self-Certification for Low Risk under Section 12, (ii) Third-Party Certification for Medium Risk under Section 13, and (iii) Deemed Approval for High Risk under Section 14; and (iv) Validity of Approvals shall be governed by Section 15.	
12.	(1) Applicability - For the services classified as low risk under Section 11, compliance may be established through Self-Certification in such form and manner as may be prescribed in the relevant legislation. (2) Time-bound disposal - Where an enterprise submits a complete application in the form and manner prescribed, the approval certificate in the prescribed form, without requiring prior physical inspection by	Self-Certification Reforms.

the Competent Authority, shall be issued within fifteen days of submission of such complete application, subject to the enterprise having fulfilled all requirements and complied with all conditions, criteria, and statutory parameters laid down under the relevant legislation.

Provided that where the approval certificate is not issued within the said period and the delay is not attributable to the applicant, the approval shall be treated as Deemed Approval upon expiry of such period, and the provisions of clause (ii) of sub-section (2) of Section 14 shall apply accordingly.

Provided further that the Competent Authority shall, where the application discloses any curable deficiency, afford the applicant a sufficient opportunity to rectify such deficiency in the form and manner as prescribed under the concerned legislation.

(3) Suspension, revocation and rectification - If self-certification is found to be false or misleading in reference to a material fact, the Competent Authority may suspend, revoke, or modify the related approval. It may also impose penalties as provided under the relevant legislation.

Provided that, no adverse action shall be taken without complying with the principles of natural justice: and

Provided further that, where defects are curable, a time-bound opportunity for rectification shall be provided before revocation.

(4) Effect of revocation - A revocation shall take effect prospectively and shall not affect the validity or legality of any action taken in good faith before such revocation, except to the extent necessary to prevent or mitigate any

	continuing damage.	
13.	(1) Recognition – The Competent Authority, in consultation with the Executive Committee, shall recognize and empanel Third-Party Certifiers for Services classified as Medium Risk under Section 11, and publish eligibility, duties, conflict of interest safeguards and fee norms. (2) Time-bound disposal – Where an enterprise submits a complete application supported by a valid third-party certificate issued by an empaneled Certifier in the prescribed form and manner, the approval certificate shall be issued by the competent authority, in the prescribed form and manner, within fifteen days of submission of such application, subject to the enterprise having complied with all statutory requirements and conditions laid down under the relevant legislation. Provided that where the approval certificate is not so issued within the said period and the delay is not attributable to the applicant, the Approval shall be treated as a Deemed Approval upon expiry of such period, and the provisions of clause (ii) of sub-section (2) of Section 14 shall apply accordingly: Provided further that the Competent Authority shall, where the application discloses any curable deficiency, provide the applicant sufficient opportunity to rectify such deficiency in the form and manner as prescribed under the relevant legislation. (3) Suspension and revocation actions against Third Party Certifiers– If a Third-Party Certifier shall be liable for willful misconduct, gross negligence, material misrepresentation, material conflict of	Third Party Certification Reforms.

	interest, or issuing a false or misleading certificate, the Competent Authority may, after issuing a show-cause notice and providing a reasonable opportunity of being heard, suspend, blacklist, or remove such certifier from the empaneled list. Provided that, where defects are curable, a time-bound opportunity for rectification shall be provided before revocation. (4) Effect of suspension or revocation of certifier– Suspension, blacklisting, or removal of a third party certifier shall take effect prospectively and shall not invalidate or render unlawful any approval already granted on the basis of a certificate issued in good faith before such action, except to the extent necessary to prevent, abate or mitigate continuous damage or imminent risk.	
14.	(1) Deemed Approval and its Applicability – ‘Deemed Approval’ means an approval that shall be construed as granted upon the expiry of the stipulated time for the concerned services listed in the Schedule I, where the Competent Authority has failed to pass an express order of approval or refusal within stipulated time and such failure is not attributable to the applicant. Deemed approvals shall apply to the services classified as High Risk under Section 11 and to any Approval treated as a Deemed Approval under the proviso to sub-section (2) of Section 12 or the proviso to sub-section (2) of Section 13, in the form and manner as may be prescribed. (2) Time-bound disposal – (i) Where an enterprise submits a complete application, the Competent Authority shall dispose it within the stipulated time. If it is not disposed of within such timeline, the	Deemed Approval Reforms.

application shall be deemed approved upon expiry of the said period.

(ii) Every application deemed to have been approved under clause (i), sub-section (2) of Section 12 and sub-section (2) of Section 13 shall, forthwith upon such deemed approval, be recorded and stand escalated to executive committee in case deemed approval certificate is not issued by the Competent Authority within three days of expiry of the stipulated timeline or the timeline mentioned under Section 12 and Section 13 for approval certificate.

The period between the date of the deemed approval and the date of issuance of the certificate shall be treated as delay for the purposes of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011):

Provided that the Competent Authority shall, where the application discloses any curable deficiency, afford the applicant a sufficient opportunity to rectify such deficiency in the form and manner as prescribed under the relevant legislation.

(3) Suspension, revocation and rectification. – The Competent Authority may suspend, revoke or modify a deemed approval if it is found that,-

- (i) it was obtained by fraud, wilful misrepresentation, or material suppression of facts; or
- (ii) standard conditions have been materially breached; or
- (iii) the continued operation of the deemed approval poses or is reasonably likely to pose a material risk to legitimate public interests:

Provided that no adverse action shall be taken without issuing a show-cause notice, providing a

	reasonable opportunity of hearing, and recording brief reasons; and Provided that, where defects are curable, a time-bound opportunity for rectification shall be provided before revocation. (4) Effect of revocation. – A revocation shall take effect prospectively and shall not affect the validity or legality of any action taken in good faith before such revocation, except to the extent necessary to prevent or mitigate any continuing damage.	
15.	(1) Notwithstanding anything contained in any relevant legislation regarding the period of validity or renewal of an Approval: - (i) Any approval, in respect of an activity, establishment or enterprise classified as Low Risk or Medium Risk under Section 11, shall, subject to the periodic compliance, remain valid for the lifetime of the enterprise, unless voluntarily surrendered or revoked for fraud, willful default, or material non-compliance; (ii) Any such Approval, in respect of an activity, establishment or enterprise classified as High Risk under Section 11, shall be valid for such period as the administrative department may, by notification, determine, having regard to the nature, scale and risk profile of the activity, and shall be renewable in such form and manner as may be prescribed in the relevant legislation; Provided that where the risk classification of an activity, establishment or enterprise is subsequently revised under Section 11, the validity already granted under clause (i) or (ii) shall stand modified accordingly	Validity of approvals.

with prospective effect, and no such revision shall invalidate any period of validity already availed of in good faith.

(2) Periodic Compliance. - In respect of an Approval having Lifetime Validity under clause (i) of sub-section (1), periodic compliance shall be established through the following -

- (i) Self-Certification by the enterprise for low risk; or
- (ii) Third-Party Certification by an accredited professional or entity empaneled by the Government for medium risk;

in such form, manner and periodicity as the concerned administrative department may, by notification, notify under the relevant legislation.

(3) Material Change Reporting - Enterprises shall report any material change in activity, process, capacity, location, or other notified parameters as prescribed under the relevant legislation.

(4) Suspension and Revocation - Approvals may be suspended or revoked for fraud, falsification, material non-compliance, or unreported material changes, following the due process.

(5) Transitional Provision. - All approvals in force on the date of commencement of this Act in respect of services listed in Schedule I shall, subject to risk classification under Section 11, services classified as high risk under clause (ii) of sub-section (1) of this Section and periodic compliance mentioned under sub-section (2) of this Section, within such period as the State Government may, by notification, prescribe, deemed to have been granted lifetime validity under this section.

16.	(1) State Government may, with the approval of the Executive Council, by notification, declare that any approval required under any such subordinate legislation shall cease to be required, where it is satisfied that such Approval has become obsolete or redundant, duplicates another compliance, or may be dispensed with without material prejudice to public interest, safety, health, the environment or the revenue of the State. (2) Where the requirement of any approval is mandatory under any relevant Act, such requirement shall not be eliminated by notification under sub-section (1) and shall be eliminated only by way of amendment to the concerned Act.	Elimination of Services / Activities.
CHAPTER-VI OVERRIDING EFFECT, GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM AND POWER TO AMEND SCHEDULE		
17.	Notwithstanding anything contained in any other law of the State of Chhattisgarh, the provisions of this Act shall prevail.	Overriding Effect.
18.	(1) The Executive Committee shall keep under review the regulatory and compliance burden on enterprises under this Act and may, on its own motion or on a reference from any administrative department, enterprise or District Empowered Committee, recommend the following to the nodal department, namely, - (a) addition of any new service or sub-ordinate legislation to Schedule-I; or (b) modification or removal of any service or sub-ordinate legislation specified in Schedule-I. (2) The State Government, with the approval of the	Power to amend Schedule.

	Executive Council, may, by notification, amend Schedule-I. Provided that where any such amendment requires a corresponding amendment in any Act, then such amendment shall be carried out only by way of amendment to the concerned Act.	
19.	(1) Every enterprise or applicant may file a grievance in relation to the following: - (i) delay in the delivery of a service beyond the stipulated time; (ii) demand for documents not prescribed under the relevant law or rules; (iii) refusal to accept valid self-certification or third-party certification; (iv) any act or omission by a Competent Authority adversely affecting the enterprise. (2) Resolution Mechanism – The State Government may, by notification, prescribe grievance resolution mechanism, timeline, concerned level of authority and appellate authority and any other procedures as may be necessary for fast-track grievance resolution. (3) Each grievance shall be assigned online, and through such other means of communication as may be prescribed.	Grievance Redressal Mechanism.
CHAPTER-VII MISCELLANEOUS		
20.	The State Government may, by notification, delegate its power to the Nodal or administrative department, committees, officers, or authorities of the State in matter connected with the provisions of this Act.	Power to Delegate.

21.	The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules including the composition, tenure, quorum and manner of functioning of the Executive Committee and the District Empowered Committee, the form and manner of applications, the procedure for self-certification and third-party certification, the fees payable, the manner of generation of approvals, and such other matters as may be necessary to carry out the provisions of this Act;	Power to make Rules.
22.	If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, clarify or remove the same.	Power to remove difficulties.
23.	The State Government may issue any direction to the Executive Committee or the District Empowered Committee or any department / Authority / Board / Corporation of the State in matter connected with the provisions of this Act.	Power to issue Directions.
24.	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Executive Council, any officer or employee of the Government or Executive Committee or District Empowered Committee or any Competent Authority for anything which is done in good faith under this Act for the facilitation of Ease of Doing Business.	Protection of Action Taken in Good Faith.

SCHEDULE-I**LIST OF ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS, ACTS, SERVICES**

S. No.	Services	Law	Administrative Department
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Building Permission (development permission)	The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Act, 1973 (No. 23 of 1973)	Housing & Environment Department
2.	Plinth Approval for Building Plan Approval		
3.	Layout Plan Approval		
4.	Occupancy Certificate		
5.	Cinematograph Licence	The Chhattisgarh Cinemas (Regulation) Act, 1952 (No. 17 of 1952)	Department of Culture
6.	Renewal of Cinematograph Licence		
7.	Fire Licence/NOC – Registration	The Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018 (No. 19 of 2018)	Department of Home
8.	Fire Licence/NOC - Renewal		
9.	Commercial Club License (F.L.4-A)	The Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 02 of 1915)	Commercial Tax Department (Excise)
10.	Non-Commercial Club License (F.L.4)		
11.	Military Canteen Retail Licence (F.L.7)		
12.	Bar License for Tourism Board (F.L.3-C)		
13.	Label Registration of Foreign Liquor		
14.	Airport Restaurant Bar License F.L.3D		
15.	Mobile Tower Approval (New)		
16.	Trade Licence		

S. No.	Services	Law	Administrative Department
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Water Connection	The Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956)	Urban Administration and Development Department
18.	Building Permission		
19.	Occupancy Certificate		
20.	Plinth Approval for Building Plan Approval		
21.	Permission for Alteration and Addition/Revision/Revalidation		
22.	Permission for Demolition and Reconstruction		
23.	Certificate of Vending (Street Vendor Licence)		
24.	Signage Permission		
25.	Slaughterhouse Licence		
26.	Renewal Trade Licence		
27.	Mobile Tower Approval (New)	The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961)	
28.	Trade Licence		
29.	Water Connection		
30.	Building Permission		
31.	Occupancy Certificate		
32.	Plinth Approval for Building Plan Approval		
33.	Permission for Alteration and Addition/Revision/Revalidation		
34.	Permission for Demolition and Reconstruction		
35.	Certificate of Vending (Street Vendor Licence)		
36.	Signage Permission		
37.	Slaughterhouse Licence		
38.	Renewal Trade Licence		
39.	Registration of Societies		

S. No.	Services	Law	Administrative Department
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Approval of amendments to the memorandum, bylaws or regulations	The Chhattisgarh Society Registrkaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Department of Commerce and Industries
41.	Change in name, registered office or governing body		
42.	Road Cutting Permission	Chhattisgarh Rajya Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003)	Public Works Department (PWD)
43.	Ground Water Extraction	The Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 (No. 18 of 2022)	Water Resources Department